(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गौरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	16/2020
दायर दिनांक	:	23.06.2020
निर्णय दिनांक	:	29.12.2023

उनवान

1. पुरूषोतम पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी आशावरी डुगरी के पास सूरज नगर गेटोलाव रोड दौसा

वादी

बनाम

1. आनन्द कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी खारी कोठी शिलावट मौहल्ला दौसा
2. भगवान पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी खारी कोठी शिलावट मौहल्ला दौसा
3. राकेश पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी राज विहार कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड दौसा
4. कैलाशप्रसाद पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी खारी कोठी शिलावट मौहल्ला दौसा
5. मंजूलता पत्नी गोपाललाल जाति ब्राह्मण, निवासी राज विहार कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड दौसा
6. हेमन्तकुमार नाबालिक पुत्र गोपालाल जरिये वली माता मंजूलता पत्नी गोपाललाल जाति ब्राह्मण, निवासी राज विहार कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड दौसा
7. हेमराज नाबालिक पुत्र गोपालाल जरिये वली माता मंजूलता पत्नी गोपाललाल जाति ब्राह्मण निवासी राज विहार कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड दौसा
8. महावीरप्रसाद पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी मोडा के बालाजी के पास दौसा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रतिवादीगण

वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता : श्री विनोद कुमार विजय (अधिवक्ता वादी)
श्री राकेश जैमन (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8)

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा एक वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाके ग्राम नामोलाव तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3620 रकबा 1.47 है., खसरा नम्बर 3621 रकबा 1.01 है., खसरा नम्बर 3622 रकबा 0.44 है., खसरा नम्बर 3623 रकबा 0.47 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 है. के 1/20 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार वादी व शेष हिस्से के खातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 तथा भौरी देवी पत्नी बनवारी लाल है उक्त भौरी देवी की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 है व भौरी देवी की 1/20 हिस्से के 1/4 हिस्से का मालिक व काबिज वादी एवं 1/20 हिस्से के 3/4 हिस्से की मालिक व काबिज प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 हैं। इस प्रकार उक्त भूमि के 5/80 हिस्से का मालिक व काबिज वादी है। उक्त भूमि पर वादी अपने बाहमी तकास्मे से 5/80 हिस्से की भूमि पर मौके पर वादी काबिज है। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत कोई तकास्मा नहीं हुआ है लेकिन वादी व

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 बाहमी तकास्मे से मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है। दिनांक 17.06.2020 को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 व 8 उक्त भूमि को अपने साथ कुछ लोगों को लाकर दिखाने लगे तो वादी ने उक्त लोगों से कहा कि क्या दिखा रहे हो तो उन्होंने कहा कि हम इस भूमि का विक्रय करेंगे तो वादी ने कहा कि यदि आपको आपका हिस्सा विक्रय करना है तो मेरा खाता अलग करवा दो और अलग करवाने के बाद विक्रय करो तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम तो तकास्मा नहीं करवायेंगे तथा विक्रय करेंगे और विशिष्ट हिस्से पर कब्जा करवाकर निर्माण कार्य करेंगे व करवायेंगे करना हो सो कर लेना। प्रतिवादी नम्बर 9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है उसके खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है। अतः वादी को निम्न अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें :–

1. यह कि वाके ग्राम नामोलाव तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3620 रकबा 1.47 है०, खसरा नम्बर 3621 रकबा 1.01 है०, खसरा नम्बर 3622 रकबा 0.44 है०, खसरा नम्बर 3623 रकबा 0.47 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 है० के वादी के 5/80 हिस्से का तकास्मा बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर फरमाकर और वादी का 5/80 हिस्से का खाता अलग कायम कर लगान अलग कायम करने की कृपा करें। तदनुसार डिक्री वादी के पक्ष में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 के खिलाफ पारित फरमाने की कृपा करें।
2. यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करें कि वाके ग्राम नामोलाव तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3620 रकबा 1.47 है०, खसरा नम्बर 3621 रकबा 1.01 है०, खसरा नम्बर 3622 रकबा 0.44 है०, खसरा नम्बर 3623 रकबा 0.47 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 है० के किसी विशिष्ट हिस्से का किसी अन्य को रहन बय नहीं करे तथा बिना तकास्मा हुए किसी विशिष्ट हिस्से पर कोई निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य को करने देवे। प्रतिवादी नम्बर 9 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करें कि प्रतिवादी नम्बर 9 उक्त भूमि के किसी भी विशिष्ट हिस्से पर प्रतिवादीगण या किसी अन्य को कोई निर्माण कार्य नहीं करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश जैमन ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी व मौके कब्जे के मुताबिक एवं रास्ता कायम करते हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में व सहमति से सभी पक्षकारान का बँटवारा कर तकास्मा करने एवं प्राथमिक डिक्री जारी करने में अपनी सहमति व्यक्त की। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.10.2020 को जारी की गई तथा तहसीलदार दौसा को ग्राम नामोलाव तहसील दौसा स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3620 रकबा 1.47 है०, खसरा नम्बर 3621 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 3622 रकबा 0.44 है०, खसरा नम्बर 3623 रकबा 0.47 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 है० भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (सरस–नरस) के उभय पक्षों की मौजूदगी में मौके पर जाकर कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। तहसीलदार दौसा ने अपने पत्रांक भू.अ./2022/2819 दिनांक 11.07.2022 द्वारा कुर्रेजात न्यायालय के समक्ष पेश किये।

कुर्रेजात पर उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। उभय पक्षों द्वारा कुर्रेजात में दर्शाये गये तकास्मे में अपनी सहमति व्यक्त की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आराजी का तकास्मा बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर किये जाने एवं वादग्रस्त आराजी का तकास्मा हुए बिना किसी विशिष्ट हिस्से का किसी अन्य को रहन बय नहीं करने एवं किसी

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

विशिष्ट हिस्से पर कोई निर्माण कार्य नहीं करने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3620 रकबा 1.47 है०, खसरा नम्बर 3621 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 3622 रकबा 0.44 है०, खसरा नम्बर 3623 रकबा 0.47 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 है० वाके ग्राम नामोलाव तहसील दौसा की खातेदारी आनन्दकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/16, कैलाशप्रसाद पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/4, पुरुषोतम पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/16, भगवान पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/16, मंजूलता पत्नी गोपाललाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/12, महावीरप्रसाद पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/4, राकेश पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/16, नाबालिग हेमन्तकुमार पुत्र गोपाललाल संरक्षक सरपरस्त माता जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/12, नाबालिग हेमराज पुत्र गोपाललाल संरक्षक सरपरस्त माता जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चूँकि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उभय पक्षों ने तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात में दर्शाये गये तकास्मे में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नामोलाव तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 3620 रकबा 1.47 है०, खसरा नम्बर 3621 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 3622 रकबा 0.44 है०, खसरा नम्बर 3623 रकबा 0.47 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 है० का तकास्मा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के मध्य निम्नानुसार किया जाकर उभय पक्षों को एक–दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	नक्शे की स्थिति
1.	कैलाश प्रसाद पिता भौरी लाल ब्राह्मण सा०देह खातेदार	3623 3622/1	0.4700 0.0950	बारानी–I बारानी–I	पीले रंग से दर्शित क्षेत्र
2.	मंजूलता पत्नी गोपाल लाल; हेमन्त कुमार, हेमराज पिता गोपाल लाल नाबालिग संरक्षक माता मंजूलता ब्राह्मण सा०देह खातेदार	3622/2 3620/3	0.3450 0.2200	बारानी–I बारानी–I	बैंगनी रंग से दर्शित क्षेत्र
3.	महावीर प्रसाद पिता भौरी लाल ब्राह्मण सा०देह खातेदार	3620/1	0.5650	बारानी–I	गुलाबी रंग से दर्शित क्षेत्र
4.	राकेश पिता बनवारी लाल ब्राह्मण सा०देह खातेदार	3620/4	0.1413	बारानी–I	हरा–पीला रंग से दर्शित क्षेत्र
5.	भगवान पिता बनवारी लाल ब्राह्मण सा०देह खातेदार	3620/5	0.1413	बारानी–I	भूरे रंग से दर्शित क्षेत्र
6.	आनन्द कुमार पिता बनवारी लाल ब्राह्मण सा०देह खातेदार	3620/6	0.1412	बारानी–I	नीले रंग से दर्शित क्षेत्र
7.	पुरुषोतम पिता बनवारी लाल ब्राह्मण सा०देह खातेदार	3620/7	0.1412	बारानी–I	नारंगी रंग से दर्शित क्षेत्र
8.	कैलाश प्रसाद, महावीर प्रसाद पिता भौरी लाल हिस्सा 1/2; आनन्द कुमार, पुरुषोतम, भगवान, राकेश पिता बनवारी लाल हिस्सा 1/4; मंजूलता पत्नी गोपाल लाल, हेमन्त कुमार, हेमराज पुत्र गोपाल लाल नाबालिग सरंक्षक माता मंजूलता ब्राह्मण हिस्सा 1/4	3621 3620/2	0.01 0.12	गै.मु. चाह बारानी–I	काले रंग से दर्शित क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

तदनुसार पर्चा अन्तिम डिक्री जारी हो। डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा खिलवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा